तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज — श्री रघुनाथ वि. राज-राज्य RAJ-D-58/17	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.5.18	वकील अपी. अनुपस्थित। G.A. उपस्थित। प्रकरण मे हमारे द्वारा अधि. न्याया. की पत्रावली का अवलोकन एवं बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधि. न्याया. मे नि.दि. 22.5.17 को राजस्व लोक अदालत में पूर्व निर्णित तिथि अनुसार किया गया है, जिसकी अपील अपीलान्ट द्वारा विहित मयाद 21.7.17 से करीब दो माह बीस दिन बाद की है तथा मयाद कण्डोन किये जाने के लिए जो तथ्य वर्णित किये है वे न तो उचित है, न ही पर्याप्त है, अतएव प्रथम दृष्टया ही अपील बेरुन मयाद होने से खारीज योग्य है। प्रकरण मे न्याय हित मे हम गुणावगुण पर भी विवेचन करना उचित समझते है, अपी. द्वारा बिलानाम भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है। अपीलान्ट का पेश शुदा साक्ष्य अनुसार न तो प्रतिकूल कब्जा प्रमाणित है तथा नही माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर एवं माननीय राज. उच्च न्यायालय के नवीनतम न्यायिक दृष्टान्त/निर्देशों के अनुसार R. T. Act. में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर	

रा. मु. इ. 60-9-2016-4,000 फार्म

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खातेदारी घोषणा किये जानेके कोई विधिक प्रावधान होना प्रस्तुत अपील अपीलान्ट बेरून मियाद व सारहीन होने से खारीज की जाती है। डिग्री पश्चात् जारी हो। बाद दाखला पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। ह०/-	